

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त 2024—श्रावण 11, शक 1946

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, नगर परिषद, अकोदिया, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश
अकोदिया, दिनांक 19 जुलाई 2024

क्रमांक/600/2024 दिव्यांगजन अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद अकोदिया जिला शाजापुर की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद् पदों को चिंहांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है—

अनुसूची - एक

नगर परिषद अकोदिया जिला शाजापुर (म.प्र.)

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिंहांकन

क्र.	पद की श्रेणी	पद का नाम	सौथी भती के कुल स्वीकृत पद	योग	दिव्यंगता अनुसार संवर्ग पदों की संख्या					योग 7+8+ 9+10	रि मा क
					निशक्तज नों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित हेतु पदों की संख्या का 6%)	दृष्ट बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रतिशत) चिन्हांकित पद	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 प्रतिशत) चिन्हांकित पद	लोकामोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पारसी, कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्रोफी (1.5 प्रतिशत) चिन्हांकित पद	ऑटिफ़्म, बौद्धि क दिव्यंगता, स्पे सिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलंगता (1.5 प्रतिशत) चिन्हांकित पद		
1	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (नियमित)	8	23	0	0	0	0	0	0	—
		सफाई संरक्षक (संविदा)	15		1	0	1	0	0	1	—
योग			23	23	1	0	1	0	0	1	

राजेश सेन, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगरपालिका परिषद, शुजालपुर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शुजालपुर, दिनांक 19 जुलाई 2024

कमांक 3586/2024 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्याक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबन्धों के अधीन नगर पालिका परिषद शुजालपुर, जिला शाजापुर की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये एतद् द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची-एक

नगर पालिका परिषद शुजालपुर, जिला शाजापुर (म0प्र0)

अनुसूची-दो

दिव्यांगजनों के लिए पदों को चिन्हांकन

क.	श्रेणी	पद संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निःशक्तजनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित हेतु पदों की संख्या (6 प्रतिशत)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग(7+8+9+10)	रिमांक
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रतिशत)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 प्रतिशत)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बीनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5 प्रतिशत)	ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 प्रतिशत)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चतुर्थ	सफाई सरक्षक (नियमित)	34	102	2	0	1	1	0	2	-
2		सफाई सरक्षक (संविदा)	68		4	1	1	1	1	4	-
3		भृत्य (नियमित)	8	24	0	0	0	0	0	0	-
4		भृत्य (संविदा)	16		1	0	0	0	1	1	-
योग			126	126	7	1	2	2	2	7	-

पवन कुमार अवस्थी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, पानखेडी (कालापीपल), जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

पानखेडी, दिनांक 19 जुलाई 2024

क्रमांक/स्था./2024/719 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबन्धों के अधीन नगर परिषद पानखेडी (कालापीपल) जिला शाजापुर की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद् द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है।

अनुसूची – एक
नगर परिषद पानखेडी (कालापीपल) जिला शाजापुर

अनुसूची – दो
दिव्यांगजनों के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/सविदा)	सीधी भर्ती के कुल स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निःशक्तजानो के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किए जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गए पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9 +10)	टिप्पणियाँ
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 %)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चतुर्थ श्रेणी	सफाई संरक्षक (नियमित)	8	24	0	0	0	0	0	0	
2		सफाई संरक्षक (सविदा)	16		1	0	0	1	0	1	
योग :-			24	24	1	0	0	1	0	1	

संतोष कुमार पाससर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, मक्सी, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

मक्सी, दिनांक 19 जुलाई 2024

क्रमांक/स्था./2024/978 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्याक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबन्धों के अधीन नगर परिषद मक्सी जिला शाजापुर की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद् द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची - एक

कार्यालय नगर परिषद मक्सी जिला शाजापुर (म.प्र.)
अनुसूची - दो

दिव्यांगजनों के लिए पदों का चिन्हांकन

क्रं.	श्रेणी	पद / संवर्ग का नाम (नियमित /संविदा)	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निःशक्तजनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 प्रतिशत)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद / संवर्ग एवं संख्या।				योग (7+8+9 +10)	रिमांक
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रतिशत)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 प्रतिशत)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5 प्रतिशत)	ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफि क लर्निंग डिसेबिलि टी और मानसिक बीमारी और बहुविकल ंगता (1.5 प्रतिशत)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (नियमित)	15	40	1	-	1	-	-	1	-
		सफाई संरक्षक (संविदा)	25		2	-	0	1	1	2	-
योग:-			40	40	3	-	1	1	1	3	-

अशाफाक खान, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, पोलायकला, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

पोलायकला, दिनांक 20 जुलाई 2024

क्रमांक/स्था./2024/719 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबन्धों के अधीन नगर परिषद पोलायकला जिला शाजापुर की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद् द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है।

अनुसूची - एक

नगर परिषद पोलायकला जिला शाजापुर

अनुसूची - दो

दिव्यांगजनों के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र	श्रेणी	पद/सर्वग का नाम (नियमित/सविदा)	सीधी भर्ती के कुल स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निःशक्तजानो के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किए जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गए पद/सर्वग एवं संख्या				योग (7+8+9 +10)	रिमार्क
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमे सम्मिलित हैं,सेरेब्रल पाल्सी,कुष्ठ रोग मुक्त,बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित,मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5 %)	ऑटिज्म,बौद्धिक दिव्यांगता,स्पेसि फिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 %)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चतुर्थ श्रेणी	सफाई संरक्षक (नियमित)	8	25	0	0	0	0	0	0	
2		सफाई संरक्षक (संविदा)	17		1	0	0	1	0	1	
योग :-			25	25	1	0	0	1	0	1	

सी. एल. केथल, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगरपालिका परिषद, मंदसौर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश

मंदसौर, दिनांक 19 जुलाई 2024

कमांक 2486/2024 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्याक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबन्धों के अधीन नगर पालिका परिषद मंदसौर, जिला मंदसौर की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये एतद् द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची-एक

नगर पालिका परिषद मंदसौर, जिला मंदसौर (म0प्र0)

अनुसूची-दो

दिव्यांगजनों के लिए पदों को चिन्हांकन

क.	श्रेणी	पद संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निःशक्तजनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित हेतु पदों की संख्या (6 प्रतिशत)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग(7+8+9+10)	रिमाक
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रतिशत)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 प्रतिशत)	लोकमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5 प्रतिशत)	ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 प्रतिशत)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	तृतीय	सहा. ग्रेड 03 (नियमित)	9	9	1	0	0	0	1	1	-
2		झायवर हल्के वाहन (नियमित)	7	14	0	0	0	0	0	0	-
		झायवर हल्के वाहन (संविदा)	7		1	0	0	1	0	1	-
3	चतुर्थ	फायर मेन नियमित	12	12	1	0	0	1	0	1	-
4		भृत्य (नियमित)	13	40	1	1	0	0	0	1	-
		भृत्य (संविदा)	27		2	1	0	1	0	2	-
5		सफाई सरक्षक (नियमित)	95	284	6	1	3	1	1	6	-
	सफाई सरक्षक (संविदा)	189	11		3	3	2	3	11	-	
योग			359	359	23	6	6	6	5	23	-

सुधीर कुमार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, टोंकखुर्द, जिला देवास, मध्यप्रदेश

टोंकखुर्द, दिनांक 19 जुलाई 2024

क्रमांक/ स्था./481/2024 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबन्धों के अधीन नगर परिषद टोंकखुर्द जिला देवास की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद् द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है।

अनुसूची – एक
नगर परिषद टोंकखुर्द, जिला देवास

अनुसूची – दो
दिव्यांगजनों के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	सीधी भर्ती के कुल स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निःशक्तजानो के लिए 6: के अनुसार चिन्हांकित किए जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गए पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8-9-10)	रिमार्क
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमे सम्मिलित है एसेरेब्रल पाल्सीएकुष्ठ रोग मुक्त एबौनापन ए एसिड अटैक पीडित एमस्कूलर डिस्ट्राफी (1.5%)	ऑटिज़म एबौध्दिक दिव्यांगता एस्पेसि फिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलंगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	तृतीय	महायक ग्रेड -3 (नियमित)	9	9	1	0	0	1	0	1	
2	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (नियमित)	5	5	0	0	0	0	0	0	
		सफाई संरक्षक (संविदा)	10	10	1	0	0	0	1	1	
		योग	24	24	2	0	0	1	1	2	

विनोद कुमार साहू, मुख्य नगरपालिका अधिकारी,

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 9 जनवरी 2023

क्र. 30-एसडब्ल्यू-एफ-72-2023.—पुलिस अधीक्षक, देवास का पत्र क्रमांक-पुअ-देवास-एसी-52-2022 देवास, दिनांक 30 अगस्त 2022 एवं पत्र क्र. पुअ-देवास-एसी-बी-4449-ए-2022, देवास, दिनांक 10 अक्टूबर 2022 के अनुसार कमलापुर पुलिस चौकी को थाने में उन्नयन कर नवीन थाना बनाया जाने हेतु जिलास्तर पर गठित समिति द्वारा थाना कमलापुर का परिसीमन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है एवं गठित समिति द्वारा पुलिस चौकी कमलापुर के 54 ग्रामों को थाना कमलापुर में उन्नयन किये जाने का निर्णय लिया गया है. मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग का ज्ञापन क्र. एफ-2(क)-9-08-बी-3-दो, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 के प्रावधान अनुसार जिले के भीतर थानों / चौकियों की सीमा का अधिकार/परिसीमन निर्धारण करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं.

अतः, मैं, ऋषभ गुप्ता, जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973-1974 का स-2 की धारा 2 के खण्ड एस. द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अमल में लाते हुए निम्नांकित अनुसूची में वर्णित देवास जिला अन्तर्गत अनुभाग बागली के पुलिस चौकी क्षेत्र कमलापुर के 54 ग्रामों को जन सुविधा एवं प्रशासकीय सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए थाना कमलापुर हेतु परिसीमन संबंधी प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करता हूँ :-

क्र.	ग्राम का नाम	वर्तमान थाना / पुलिस चौकी का नाम	वर्तमान थाने से दूरी	प्रस्तावित थाने का नाम	प्रस्तावित थाने से गांव की दूरी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	चापडा	बागली 1155	उत्तर 08 कि. मी.	कमलापुर	पश्चिम 15 कि. मी.
02	गुराडियाकला	बागली 982.12	पश्चिम उत्तर 10 कि. मी.	कमलापुर	पश्चिम 14 कि. मी.
03	गुनेरा	बागली 238.68	उत्तर 06 कि. मी.	कमलापुर	पश्चिम 12 कि. मी.
04	गुनेरी	बागली 197.08	उत्तर 06 कि. मी.	कमलापुर	पश्चिम 11 कि. मी.
05	लखवाडा	बागली 405.172	उत्तर 07 कि. मी.	कमलापुर	पश्चिम 13 कि. मी.
06	मुकुन्दगढ	बागली 1798.28	पश्चिम उत्तर 12 कि. मी.	कमलापुर	पश्चिम 25 कि. मी.
07	अंबाझर	बागली 334.53	पश्चिम उत्तर 13 मि. मी.	कमलापुर	पश्चिम 26 कि. मी.
08	भमौरै	बागली 925.819	पश्चिम उत्तर 15 कि. मी.	कमलापुर	पश्चिम 25 कि. मी.
09	अमरपुरा	बागली 511.90	उत्तर 10 कि. मी.	कमलापुर	पश्चिम 15 कि. मी.
10	अवल्दा	बागली 401.04	उत्तरपूर्व 10 कि. मी.	कमलापुर	पश्चिम 15 कि. मी.
11	अवल्दी	बागली 273.16	उत्तरपूर्व 11 कि. मी.	कमलापुर	पश्चिम 16 कि. मी.
12	गोपालपुरा (टिमरानिया)	बागली 306.74	पश्चिम उत्तर 16 कि. मी.	कमलापुर	पश्चिम 27 कि. मी.
13	मोखालिपपल्या	बागली 464.86	उत्तरपूर्व 12 कि. मी.	कमलापुर	पश्चिम 10 कि. मी.
14	माकडिया	बागली 206.23	उत्तरपूर्व 12 कि. मी.	कमलापुर	पश्चिम 12 कि. मी.
15	कमलापुर	बागली 2987.39	पूर्व उत्तर 25 मि. मी.	कमलापुर	0 कि. मी.
16	अगुर्ली	बागली 936.78	पूर्व 19 कि. मी.	कमलापुर	दक्षिण 06 कि. मी.
17	बडी	बागली 164.36	पूर्व उत्तर 23 कि. मी.	कमलापुर	दक्षिण 02 कि. मी.
18	शिवपुरी	बागली 384.44	पूर्व उत्तर 19 कि. मी.	कमलापुर	पश्चिम 06 कि. मी.
19	मातमौर	बागली 486.17	पूर्व उत्तर 17 कि. मी.	कमलापुर	पश्चिम 07 कि. मी.
20	खेडापिपल्या साहब	बागली 265.61	पूर्व उत्तर 14 कि. मी.	कमलापुर	पश्चिम 12 कि. मी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	बेड़ामड	बागली 241.60	पूर्व 15 कि. मी.	कमलापुर	पश्चिम 07 कि. मी.
22	बामनखेड़ी	बागली 422.84	उत्तर पूर्व 12 कि. मी.	कमलापुर	पश्चिम 08 कि. मी.
23	करौंदिया	बागली 606.34	पूर्व 29 कि. मी.	कमलापुर	पूर्व दक्षिण 06 कि. मी.
24	देवास्या	बागली 1848.63	पूर्व 29 कि. मी.	कमलापुर	पूर्व दक्षिण 06 कि. मी.
25	बोरान्या	बागली 1556.73	पूर्व 30 कि. मी.	कमलापुर	पूर्व दक्षिण 07 कि. मी.
26	छायन	बागली 153.04	पूर्व 28 कि. मी.	कमलापुर	पूर्व 05 कि. मी.
27	धनतालाब	बागली 2376.24	पूर्व 37 कि. मी.	कमलापुर	पूर्व 12 कि. मी.
28	खेडाखाल	बागली 547.083	पूर्व 29 कि. मी.	कमलापुर	पूर्व 08 कि. मी.
29	चन्द्रकेशर	बागली 371.29	पूर्व 32 कि. मी.	कमलापुर	दक्षिण पूर्व 10 कि. मी.
30	सामगी	बागली 477.12	उत्तर पूर्व 25 कि. मी.	कमलापुर	उत्तर पश्चिम 07 कि. मी.
31	डिगोद	बागली 227.30	उत्तर पूर्व 32 कि. मी.	कमलापुर	उत्तर 08 कि. मी.
32	हमीरखेड़ी	बागली 176.47	उत्तर पूर्व 27 कि. मी.	कमलापुर	उत्तर 13 कि. मी.
33	थलघेवरिया	बागली 178.61	पूर्व 30 कि. मी.	कमलापुर	पूर्व 05 कि. मी.
34	ईस्माइलखेड़ी	बागली 621.70	उत्तर पूर्व 38 कि. मी.	कमलापुर	उत्तर पश्चिम 08 कि. मी.
35	महुडिया	बागली 605.26	उत्तर पूर्व 34 कि. मी.	कमलापुर	उत्तर 10 कि. मी.
36	कवडिया	बागली 605.26	उत्तर पूर्व 37 कि. मी.	कमलापुर	उत्तर 12 कि. मी.
37	धींगरखेडा	बागली 224.11	पूर्व 30 कि. मी.	कमलापुर	उत्तर 10 कि. मी.
38	अवराजसाहनी	बागली 629.27	उत्तर पूर्व 31 कि. मी.	कमलापुर	उत्तर 07 कि. मी.
39	गोपीपुर	बागली 186.89	पूर्व 28 कि. मी.	कमलापुर	उत्तर 06 कि. मी.
40	कैलोद	बागली 300.65	उत्तर पूर्व 23 कि. मी.	कमलापुर	उत्तर पश्चिम 06 कि. मी.
41	डैरियाआभा	बागली 286.63	उत्तर पूर्व 35 कि. मी.	कमलापुर	उत्तर 12 कि. मी.
42	पोलाय	बागली 555.319	पूर्व 15 कि. मी.	कमलापुर	पश्चिम 07 कि. मी.
43	कांझर	बागली 721.44	उत्तर पूर्व 30 कि. मी.	कमलापुर	उत्तर 10 कि. मी.
44	पालखा	बागली 291.22	उत्तर पूर्व 28 कि. मी.	कमलापुर	उत्तर 03 कि. मी.
45	स्तायखेड़ी	बागली 372.14	उत्तर पूर्व 35 कि. मी.	कमलापुर	पूर्व 12 कि. मी.
46	भीलआमला	बागली 1584.26	उत्तर पूर्व 28 कि. मी.	कमलापुर	उत्तर पूर्व 07 कि. मी.
47	जामनझिरी	बागली 5865.23	पूर्व 25 कि. मी.	कमलापुर	पूर्व 07 कि. मी.
48	ओदलाझिरी	बागली 996.62	उत्तर पूर्व 32 कि. मी.	कमलापुर	उत्तर 11 कि. मी.
49	ग्यारसपुरा	बागली 165.32	उत्तर पूर्व 35 कि. मी.	कमलापुर	उत्तर 15 कि. मी.
50	तिस्सी	हाटपिपल्या 179.67	पश्चिम उत्तर 15 कि. मी.	कमलापुर	पश्चिम 32 कि. मी.
51	इकलेरा	हाटपिपल्या 491.23	पश्चिम उत्तर 14 कि. मी.	कमलापुर	पश्चिम 31 कि. मी.
52	चोरपिपल्या	हाटपिपल्या 197.10	उत्तर 13 कि. मी.	कमलापुर	पश्चिम 23 कि. मी.
53	बिलावली	हाटपिपल्या 801.08	उत्तर 25 कि. मी.	कमलापुर	उत्तर पश्चिम 15 कि. मी.
54	पितावली	हाटपिपल्या 199.50	उत्तर 27 कि. मी.	कमलापुर	उत्तर पश्चिम 14 कि. मी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋषभ गुप्ता, जिला दण्डाधिकारी.